संख्या-02/2026/969/2024/53-2099-1166/2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 04-02-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद-15, मानक मद-08 एवं मानक मद-13 में पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-757/वित्त संभाग-3/बजट/पुनिर्वियोग/25-26, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001- निदेशन तथा प्रशासन-03 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएं के मानक मद-1 वेतन में रू० 25.00 लाख की सम्भावित बचत के सापेक्ष मानक मद-15 (गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद) में रू0 15.00 लाख व मानक मद-08 (कार्यालय व्यय) में रू० 9.00 लाख एवं मानक मद-13 (टेलीफोन व्यय) हेतु धनराशि रू0 1.00 लाख के अर्थात कुल धनराशि रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) का पुनर्विनियोग प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र (बी0एम0-9) पर उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन- 03 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएं के मानक मद-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1 वेतन में रू0 25.00 लाख की सम्भावित बचत के सापेक्ष मानक मद-15 (गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद) में रू0 15.00 लाख व मानक मद-08 (कार्यालय व्यय) में रू० 9.00 लाख एवं मानक मद-13 (टेलीफोन व्यय) हेतु धनराशि रू0 1.00 लाख, अर्थात कुल धनराशि रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) का पुनर्विनियोग निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विभाग, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वाहनों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों हेतु ही किया जायेगा। यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विभाग, उ०प्र० का होगा।

(3) अनुमन्य व्यक्तियों के द्वारा वाहनों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025, एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में अंकित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें के मानक मद-01 वेतन में रू0 25.00 लाख की सम्भावित बचत के सापेक्ष मानक मद-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आदि की खरीद, मानक मद-08-कार्यालय व्यय, मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय आदि के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार अनुदान संख्या-16 लेखाशीर्षक- 2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएं के मानक मद-01-वेतन मद में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(राम सहाय यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 02/2026/969/2024/53-2099-1166/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
3. वरिष्ठ आडिट ऑफिसर, (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनु0-1/नियोजन अनु0-3/राज्य योज्जना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा सें,
रामबूझ
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।